



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ. ग.)
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Tel: 07752-260000, 260003, Fax: 07752-260154
Website: www.ggu.ac.in Email:

क्रमांक २७० /परीक्षा/यूटी.डी./२०१८

बिलासपुर, दिनांक ०४-०८-२०१८

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छोगो)

विषय:- 10वीं की अंकसूची के अनुसार ही प्रवेश पंजी में छात्र एवं उनके माता-पिता के नाम अंकित करने विषयक्

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययनशाला में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के नाम उनके माता-पिता के नाम की प्रविष्टि 10वीं की अंकसूची के अनुसार ही प्रवेश पंजी में अंकित करना चाहें। परीक्षा आवेदन पत्र में 10वीं की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है, जिससे छात्र/छात्राओं के अंकसूची में नाम संशोधन संबंधित त्रुटि न हो। ऐसे छात्र जिनके अंकसूची में नाम व माता-पिता के नाम में त्रुटि हो तो वे छः माह तक बिना शुल्क के नाम में संशोधन करा सकते हैं, इसके पश्चात अंकसूची में नाम संशोधन हेतु ₹0100/- (एक सौ रुपये) प्रति अंकसूची संशोधन हेतु देय होगा।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)

पूरक्रमांक २७१/ परीक्षा/यूटी.डी./२०१८,
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक ०४-०८-२०१८

1. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक/शीघ्रलेखक की ओर मा.कुलपति/कुलसचिव
- जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गु.घा.वि.वि.बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. विभागाध्यक्ष, सी.एस.आई.टी. विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. जनसंपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)